न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या– 80 / 2018
प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक–07.09.2018
निर्णय दिनांक–12.03.2020

मूलचन्द पुत्र उद्दा जाति मीना निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांकः–12.03.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि खाता संख्या 39 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 25 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में वाके ग्राम अकबरनगर तह0 पीपलू जिला टोंक राज. में हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम मूलचन्द के स्थान पर मूल्या दर्ज हैं जबकि प्रार्थी का वास्तविक मूलचन्द है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसके गांव का बोलता नाम मूल्या दर्ज हैं। इस कारण वर्तमान में राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध नाम अंकित करते हुए खाता संख्या 39 में मूल्या के स्थान पर मूलचन्द नाम अंकित किया जावें। आवेदक ने अपने नाम से जो आधारकार्ड, बैक का 6(1) बने हुए हैं। उनमें आवेदक का नाम मूलचन्द पुत्र उद्दा जाति मीणा अंकित हैं। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से मूल्या पुत्र उद्दा अंकित है, उक्त त्रुटी सहवंन व लिपिकीय भूल के कारण हुई हैं। जो एक लिपिकीय त्रुटि है। उसके स्थान पर आवेदक का सही एवं वास्तविक नाम मूलचन्द पुत्र उद्दा जाति मीणा अंकित करवाये जाने का प्रार्थी अधिकारी है ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई तथा अप्रार्थी से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी की और से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी अपना सम्मानजनक नाम मूलचन्द पुत्र उद्दा हैं जो प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाना चाहता हैं व इस बाबत् आवेदक मूलचन्द ने बतौर सबूत अपना आधारकार्ड, बैक का 6(1) एवं जमाबंदी खाता संख्या 85 संवत् 2070–2073 की छाया प्रति पेश की हैं। अतः सहवन से जो गलत नाम अंकित गया हैं। वह त्रुटी पूर्ण हैं। जिसको सही किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार व आदेश के मूलचन्द पुत्र उद्दा की जगह मूल्या पुत्र उद्दा अंकित कर दिया हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम मूलचन्द पुत्र उद्दा हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधारकार्ड, बैक का 6(1) एवं जमाबंदी खाता संख्या 85 संवत् 2070–2073 की छाया प्रति पेश की। जिसमें प्रार्थी का नाम सही अंकित हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत अंकित कर दिया गया। जो त्रुटिपूर्ण हैं। जो एक लिपिकीय त्रुटी हैं। जिसकों दुरूस्त किये जाने का प्रार्थी ने निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, बैक का 6(1) एवं जमाबंदी खाता संख्या 85 संवत् 2070–2073 की छाया प्रति से स्पष्ठ होता हैं कि प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम मूलचन्द पुत्र उद्दा हैं। इस कारण उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम खाता संख्या 39 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 25 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में वाके ग्राम अकबरनगर तह0 पीपलू जिला टोंक में प्रार्थी का नाम मूल्या पुत्र उद्दा की जगह मूलचन्द पुत्र उद्दा जाति मीना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता हैं। तहसीलदार, पीपलू निर्णय अनुसार पालना करें। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **12.03.2020** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)